



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64340

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 12175 वर्ष 2026

राहुल चौधरी और एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के लिए अधिवक्ता : अरुणेश कुमार सिंह, मोहम्मद नईम
सिद्दीकी
प्रतिपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीया न्यायमूर्ति नन्द प्रभा शुक्ला,

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुणेश कुमार सिंह और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के अंतर्गत वर्तमान आवेदन वाद संख्या 17136 वर्ष 2020 (राज्य बनाम राहुल चौधरी और अन्य) के समझौता सत्यापन दिनांक 20.02.2026 के अनुसार कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है, जो मामला अपराध संख्या 79 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा 498-ए, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन महिला थाना, जिला प्रयागराज से उत्पन्न हुआ है, न्यायालय, सिविल जज (जेडी)/एफटीसी न्यायालय संख्या 21, प्रयागराज के समक्ष लंबित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों और प्रतिपक्षी संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से विवाद का निपटारा कर लिया है, जिसका विधिवत सत्यापन 20.02.2026 को विद्वान सिविल जज (जेडी)/एफटीसी न्यायालय संख्या 21, प्रयागराज द्वारा किया गया है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान विवाद आवेदकों और प्रतिपक्षी संख्या 2 के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क दिया गया कि दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से समझौता किया है, न कि किसी दबाव, धमकी या उत्पीड़न के अधीन, और वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए, पक्षों के बीच समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और वे प्रति-शपथपत्र और प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों की सत्यता पर कोई विवाद नहीं किया।

6. पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को रद्द करने से संबंधित कानून अच्छी तरह से स्थापित है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **बी.एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2003) 4 एस.सी.सी. 675** मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "उच्च न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता (दं.प्र.सं.) की धारा 482 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.सू.रि.) और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में जहां पक्षों के बीच वास्तविक समझौता हो चुका है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 320 दं.प्र.सं. जिसमें शमनीय अपराधों की सूची है, इस शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है, और इसका प्रयोग सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही अपराध अन्यथा अशमनीय हों।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2012) 10 एससीसी 303** मामले में अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि

"लेकिन जिन आपराधिक मामलों में अधिकांशतः सिविल प्रकृति के मामले होते हैं, उन्हें रद्द करने के उद्देश्य से अलग तरीके से देखा जाता है, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न अपराध, या दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध, या पारिवारिक विवाद जहां गलती मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति की होती है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया होता है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसकी राय में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना बहुत कम है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को भारी उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौता होने के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसे घोर अन्याय होगा।”

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई कर्मुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2017) 9 एससीसी 641 में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए हैं, इस आधार पर कि "समझौते के आधार पर अशमनीय मामलों में भी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है ताकि न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया जा सके और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में इसका उपयोग किया जा सके।”

10. दोनों पक्ष संबंधित न्यायालय में उनके बीच लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने पर सहमत हो गए हैं। अभिलेखों और ऊपर उद्धृत कानून के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला न्यायालय द्वारा समन आदेश और संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने का उपयुक्त मामला है।

11. यह विवाद विशुद्ध रूप से वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है जिसे दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से पूरी तरह से संतुष्ट होकर सुलझा लिया है, इसलिए अभियोजन को आगे जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

12. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दायर किया गया निरस्तीकरण हेतु वर्तमान आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831 वर्ष 2025, एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 11642 वर्ष 2019 निर्णीत दिनांक 02.09.2025 में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आती है।

13. समझौते के सत्यापन दिनांक 20.02.2026 के अनुसार, न्यायालय, सिविल जज (जेडी)/एफटीसी न्यायालय संख्या 21, प्रयागराज के समक्ष लंबित वाद संख्या 17136 वर्ष 2020 (राज्य बनाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राहुल चौधरी और अन्य), जो मामला अपराध संख्या 79 वर्ष 2020, अंतर्गत धारा 498-ए, 323, 504, 506 भारतीय दंड संहिता और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन महिला थाना, जिला प्रयागराज से उत्पन्न हुआ है, की कार्यवाही को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

14. तदनुसार, धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को **स्वीकार किया जाता है।**

26 मार्च, 2026

विक्रम

(न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।